यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2017

अनवानः—

ग्राम पंचायत मालारामपुरा जरिये सरपंच राजेन्द्र कुमार लूणा ।

प्रार्थी

बनाम

1 मलकीतसिंह पुत्र जगता सिंह जाति जाति जट सिख सा. मालारामपुरा ।
2 छिन्द्रपाल कौर पत्नी प्रेम सिंह दत्तक पुत्र संता सिंह
3 बलन्द्रि सिंह पुत्र प्रेम सिंह दत्तक पुत्र संता सिंह अकवाम जटसिख सा. 9 केएसडी तहसील संगरिया।

अप्रार्थीगण।

निगरानी विरूद्ध पटटा दिनांक 20.07.63

उपस्थितः—
1 श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी
2 श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1

—:निर्णयः—

दिनांकः—20.09.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

क—कि पूर्व ग्राम पंचायत रासूवाला व मौजूदा ग्राम पंचायत मालारामपुरा के अभिलेख में भूखण्ड सं0 155 व 156 का बेचान ग्राम पंचायत द्वारा अभिकथित संतासिंह व जगतासिंह पि0 लहणा सिंह को नहीं किया गया है। भूखण्ड सं0 155 व 156 खसरा आबादी दरमयानी रजिस्टर में आज भी मकबूजाराज दर्ज है। इस भूख्ण्ड के संबंध में रजिस्टर खसरा आबादी के खाना सं0 14 में किसी इन्द्र सिंह मघर सिंह पि0 भान सिंह द्वारा मुखत्यार सिंह पुत्र वीर सिंह को विकय करने की प्रविष्टि अंकित है परन्तु यह प्रविष्टि मूलतः ही अवैध व शून्य है। क्यों कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड सं. 156 को किसी भी व्यक्ति को पूर्व में विकय नहीं किया गया है। भूखण्ड सं0 156 की प्रविष्टि में अंकित नाम मुखत्यार सिंह गांव मालारामपुरा का निवासी ही नहीं है व न ही भूखण्ड सं. 155 व 156 पर आज तक किसी व्यक्ति का कब्जा रहा व न ही इस पर निर्माण ही किया गया। ऐसी स्थिति में यह प्रविष्टि का अंकन पूर्णतया गलत व कूटरचित है। भूखण्ड सं. 156 के संबंधित खसरा रजिस्टर में संता सिंह व जगतासिंह के नाम से कोई प्रविष्टि नहीं है यही स्थिति भूखण्डसं. 155 के संबंध में भी है। मकबूजाराज भूखण्ड सार्वजनिक कार्यो के लिए आरक्षित रखे गये थे ऐसे भूखण्डों को विकयन करने

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कतई नहीं था।

ख– कि विवादित पटटा के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि इसे जारी करने संबंधी ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव अथवा आज्ञा का कोई उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। पटटा में अधिकांश रिक्तियां खाली हैं। संतासिंह व जगता सिंह का निवास रासूवाला का बताया गया है जबकि वे रासूवाला में कभी नहीं रहे बल्कि हमेशा से ही मालारामपुरा के निवासी रहे हैं। इस पटटा में इन भूखण्डों को किसी रीति से व किन अधिकारों के आधार पर जारी किया गया कतई अस्पष्ट है। पटटा पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है व न ही केतागण के अंगूठा हस्ताक्षर हैं। यदि संतासिंह व जगता सिंह द्वारा विवादित भूखण्डों को ग्राम पंचायत से वर्ष 1963 में खरीद किया जाता तो अवश्य ही वे पटटा जारी होने से आज दिनांक तक की 50 वर्ष की अवधि में अपने उपयोग व उपभोग में लेते व इस पर निर्माण करते। जाहिर है कि अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत क साथ हुए उपताप संबंधी विवाद के बाद इस पटटा को कुटरचित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा इन भूखण्डों के जमा कूडा करकट को हटाने के संबंध में समय समय पर नोटिस जारी किये पर अप्रार्थीयान ने अभिकथित पटटा होने की कोई जानकारी लिखित में नहीं दी। अप्रार्थीगण का यह आचरण पटटा को पूर्णतया संदिग्ध होना प्रकट करता है अन्यथा वे अविलम्ब इस पटटा को जबाब नोटिस के जरिये पकट करते।

ग– कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोइ पटटा जारी नहीं किया गया है व न ही ऐसे पटटे को जारी करने संबंधी ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव ही पारित कियाहै व न ही इस संबंधमें कोई सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन होना व इस संबंध में पत्रावली संधारित किये जाने का कोई उल्लेख ही ग्राम पंचायत मे उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में पटटा अप्रार्थीगण द्वारा कूटरचित किया जाना प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है। भूखण्ड सं. 156 रिकार्ड में 1872 दरगजी है जबकि पटटा में 452 दरगज लिखा गया है इन परिस्थितियों में पटटा पूर्णतया विधि विरूद्ध व फर्जी है।

इस विवादित पटटा की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं.0 1 व अन्य के विरूद्ध दायर की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 85 दिनांक 17.2.14 के पूलिस अनुसंधान के दौरान अप्रार्थी द्वारा पटटा को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने पर हुई है। इस पटटा की फोटो प्रति को पुलिस ने प्रार्थी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाकर इस पटटा से संबंधित अभिलेख की जानकारी देने के लिए कहा गया था । ऐसी स्थिति में इस पटटा की जानकारी ग्राम पंचायत को माह मार्च 2014 में हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा बिना कोई विलम्ब किये निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर मियाद है। अतः पटटा दिनांक 20.7.63 निरस्त फरमाया जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy, Not Official

निगरानी प्रा0पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयीं । ग्राम पंचायत मालारामपुरा से खसरा नं. 155 व 156 की प्रमाणित फोटो प्रतियां व कपड़े का नक्शा पेश किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी अधीन पट्टे खारिज करने का निवेदन किया गया ।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 द्वारा बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत पटटे नियमानुसार जारी किये गये हैं। 51 साल से अप्रार्थी के पूर्वज व अप्रार्थी काबिज है। सन् 1963 में जारी किये गये पटटे जिसके आधार पर मुझ अप्रार्थी का मौका पर कब्जा है जिसकी स्पष्ट जानकारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को है तथा सरपंच जो कि गांव का मुख्या व जानकार होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करीब करीब जानकारी होती है । इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है जो जैरकार है तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही यह भी तर्क किया कि वर्ष 1963 में जारी पटटा को निरस्त करवाने बाबत निगरानी वर्ष 2014 में पेश करना मियाद बाहर है। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2002 (1)डीएनजे (राज0) पेज 307 प्रस्तुत किये गये।

बहस पर मनन किय गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के नाम जारी पटटा जो वर्ष 1963 में जारी किया गया है उसको निरस्त करवाने का निवेदनकिया गया है। इतनी देरी से निगरानी प्रा0पत्र प्रस्तु करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्ष 1963 के पटटे को निरस्त करवाने बाबत निगरानी प्रा0पत्र 51 वर्ष बाद प्रस्तुत करना मियाद बाहर है । साथ ही निगरानी प्रा0पत्र के साथ जो पटटा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है वह प्रमाणित भी नहीं है ना ही पठनीय है। जो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रा0पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कपड़े का नक्शा वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official